

Affidavit

I,Rajendra Singh Bagar, S/o Late Shri Prithivi Singh ji, Age 59 years by caste Rajput, resident of 52, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur, Presently Secretary, Shri Bhawani Niketan Shiksha Samiti and SBN Education & Charitable Trust, Sikar Road, Jaipur certify that I have been authorized by the Management of the above mentioned Samiti to give this affidavit on behalf of the Shri Bhawani Niketan P.G. Mahila Mahavidhyalaya, Jaipur as this institution is run by the above samiti. It is further certified that the Management has studied the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 carefully and has understood their implications for the existing Teacher Education Institution offering NCTE recognized teacher education programme(s)

1. That Shri Bhawani Niketan Shiksha Samiti is running all the educational institutions on the land of Shri Bhawani Niketan Educational & Charitable Trust. The ownership and possession on the land is of the Trust. The management of the Trust and the Samiti is same.
2. That the institution is running in the premises of Shri Bhawani Niketan Shiksha Samiti, Sikar road, Jaipur. The particulars of land are as follows:-
 (a.) Khasra No. - 1/2
 (b.) Village / City – Bassi Sitarampura
 (c.) District - Jaipur
 (d.) State - Rajasthan
3. That the Govt. Order No. प-2(4455) Raj/Gr-3190 dated 21-07-1994 of the Revenue Department, Government of Rajasthan, Jaipur is enclosed herewith to show that the use of this land is for Educational Purpose only.
4. That the certified copy of Building Plan issued by the P.W.D., Jaipur is enclosed hearwith.
5. The total area of the land for Shri Bhawani Niketan P.G. Mahila Mahavidhyalaya is 105762.36 sq. meters.
6. That affidavit is submitted in compliance with the provision of 8(5) of the NCTE Regulation 2014.

Place : JAIPUR

Date : 25/2/17

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

(Signature of Deponent)

ATTESTED
NOTARY, JAIPUR DISTRICT (RAJ.)
25 FEB 2017

क्रमांक 1090 दिनांक 20/02/17

मुद्रांक 100)

प्रेषक राजेन्द्र सिंह खाड़

पिता/ S/o पृथ्वी सिंह

निवासी ~~खण्डेला श्रीमाली~~ निकट शिक्षा समिति

बाबत सीकर रोड जयपुर

शपथ पत्र

युहाबु 20/02/17

रघुवीर सैनी

ला. नं. 141/20 निवेता

सी-233, गुलाबपुरा स्कीम, जयपुर

प्रेषक Rajendra Singh

मो. 9166519696

ATTESTED

NOTARY JAIPUR DISTRICT (RAJ.)

DEEPAK KUMAR
Reg.: 11835
E. Date 7-11-2021
JAIPUR(RAJ.)
GOVT. OF INDIA

Verification

I, Rejendra Singh Bagar the above-named deponent do hereby verify that the statement made by me in para (1) to para (6) are true and correct to the best of my knowledge and belief. This affidavit is being submitted to the NRC-NCTE for grant of formal recognition as per clause 8(5) of the NCTE Regulations, 2014 in compliance to the letter of intent prior to grant of recognition/ permission issued by NRC vide letter no. dated and if any variation / incorrect or deliberately distorted information is found, the sole responsibility shall be of the managing society/ trust only and the managing society/ trust shall be liable for action as per provisions of the NCTE regulations, 2014.

Place : JAIPUR
Date : 25/2/17

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर
(Signature of Deponent)

ATTESTED
25 FEB 2017
NOTARY, JAIPUR DISTRICT (RAJ.)

3140-(1)

(4)

(123)

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-3) विभाग

क्रमांक:प.2(445)राज/गुप-3/90

जयपुर, दिनांक: - 21.7.94

: आदेश :-

चूँकि भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा राजपूत सरदार सभा, जयपुर को हाई स्कूल भवन, बोर्डिंग हाऊस एवं कार्मिकों के आवास गृह निमार्ण हेतु उनके पत्र क्रमांक: 7064/रेवे दिनांक 10.10.42 द्वारा तहसील सवाई जयपुर के ग्राम बस्सी सीतारामपुरा की 41 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम झोटवाड़ा की 12 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम परसरामपुरा की 57 बीघा 3 बिस्वा तथा जंगलात ग्राम फार्म और शिकारखाना विभाग की 389बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 501 बीघा 01 बिस्वा ~~निशुल्क~~ भूमि निशुल्क आवंटित की गई थी राज्य सरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80 दिनांक 30.7.82 द्वारा उक्त अधिकांशित भूमि पुनर्ग्रहण कर ली गई ।

और चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80 दिनांक 30.7.82 द्वारा आवंटित भूमि निरस्त किये जाने से पूर्व राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रर्याप्त सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना चाहिये था । लेकिन उक्त सम संख्यक आदेश में राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को पर्याप्त सुनवाई कर उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुये आवंटित भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाना प्रत्यक्षत: परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त भूमि पुनर्ग्रहण आदेश का मुख्य आधार श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर की मांग पर भूमि का संक्रामण किया जाना रहा जबकि जिला कलक्टर, जयपुर ने कृषि उपज मण्डी समिति को भूमि क्रय नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिये हुये थे । कृषि उपज मण्डी समिति/~~xxxx~~ राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त शासी संस्था है एवं भूमि संक्रामण में कृषि विभाग, राज्य सरकार भी सम्बद्ध पक्ष था और कृषि विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.10(214)कृषि/गुप-2-बी/74-पार्ट दिनांक 17.10.79 से 76 बीघा भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी । वास्तव में श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं हुआ था । अत: ऐसी स्थिति में उक्त सम संख्यक आदेश दिनांक 30.7.82 न्यायोचित नहीं था ।

और चूँकि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति (पंजीयन सोसायटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति) द्वारा यह अभ्यावेदन करने पर कि उसे उक्त भूमि सन् 1942 के प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अनुसार शिक्षण प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु स्वीकृति दे दी जावें, राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापन करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्वअधिनियम, 1956 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत भूमि तादादी 506 बीघा 4 बिस्वा, जो कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्ग्रहण आदेश के अनुसार कब्जें में ली गई थी, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति को आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80/पार्ट-2 दिनांक 25.8.84 द्वारा पुन: आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड सरकारी के खसरा नं. 11 की भूमि तादादी 1 बीघा एवं ग्राम झोंटवाडा के खसरा नं. 1069 की भूमि तादादी 4 बीघा 5 बिस्वा उक्त समिति के कब्जे में समानान्तर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिये अधिकृत किया गया । लेकिन इन आवंटन आदेशों में प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अतिरिक्त अन्य

---2.

NOTARY DEEPAK KUMAR Reg.: 11835 E. Date 7-11-2021 JAIPUR(RAJ.) GOVT. OF INDIA

TRUE PHOTO COPY ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR DISTT. (RAJ.) INDIA

25 FEB 2017

छाया

15.2.17

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

शर्तों का समावेश किया जाने से प्रारंभिक आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन नहीं हुआ ।

और चूँकि उक्त भूमि आवंटन से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण राजपूत सभा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1655/84 दायर कर दी गई एवं तदुपरान्त राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त इस भूमि आवंटन के संबंध में दीर्घकाल से चली आ रही इस विवादग्रस्त स्थिति पर विचार किया गया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति ने इस विवाद के फलस्वरूप शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी कार्यों, तकनीकी एवं विशिष्ठ पाठ्यक्रमों के संचालन एवं नये पाठ्यक्रम शुरू करने में कठिनाई होना प्रकट किया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर एवं राजपूत सभा, जयपुर द्वारा भूतपूर्व जयपुर रियासत के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आदिनांक उनके कब्जे में चली आ रही भूमि आवंटित किये जाने पर उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पृथक-पृथक दायर याचिकाएँ वापिस लेने हेतु लिखित में दे दिया गया ।

अतएव, एतद्द्वारा उपरोक्त शिक्षण संबंधित प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80/11 दिनांक 25.8.84 को प्रतिसंहरित/प्रति संहृत करते हुये निम्नलिखित आदेश प्रस्तावित किये जाते हैं :-

1. राजपूत सभा को हाई स्कूल, बोर्डिंग हाऊस एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु 501 बीघा 01 बिस्वा भूमि का भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा आवंटनआदेश दिनांक 10.10.42 का पुनर्स्थापन किया जाता है । चूँकि राजपूत सभा के स्थान पर श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति शिक्षण संस्थाओं के संचालन का कार्य कर रही थी और चूँकि अब इन शिक्षण संस्थाओं के संचालन के कार्य हेतु श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है । अतः दिनांक 10.10.42 के भूमि आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है । इस पर राजपूत सभा, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति तथा श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट सहमत है ।

2. उपरोक्त भूमि के अलावा श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के कब्जे में आदिनांक चली आरही 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन उपरोक्त शिक्षण उद्देश्यों के लिये श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट को निःशुल्क किया जाता है । इसप्रकार कुल 555 बीघा 16 बिस्वा भूमि का संलग्न परिशिष्ट के अनुसार श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर को आवंटन किया जाता है ।

--- 3.

NOTARY
DEEPAK KUMAR
Reg.: 11835
E. Date 7-11-2021
JAIPUR(RAJ.)
GOVT. OF INDIA

TRUE PHOTO COPY
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR DISTT. (RAJ.)
INDIA
25 FEB 2017

छाया प्रति प्रमाणित
15.2.13

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

127

3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि का उपयोग श्री भवानी निकेतन एज्युकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा केवल शैक्षिणिक प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा ।

आज्ञा से,

(योगेश यादव)
(अनिल कुमार चपलोत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, जयपुर ।
4. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर चेरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव.

NOTARY
DEEPAK KUMAR
Reg.: 11835
E. Date 7-11-2021
JAIPUR(RAJ.)
GOVT. OF INDIA

प्रति प्राप्त की
जानकारी हेतु
संलग्न है ।
श्री भ. नि. ए. एंड चेरीटेबल ट्रस्ट जयपुर

दिनांक 21.7.94

छाया प्रति प्रमाणित
16.2.13
सहायक शासन सचिव
राजस्व (उप-खण्ड) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

TRUE PHOTO COPY
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR DISTT. (RAJ.)
INDIA

25 FEB 2017

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

परिशिष्ट-

एजुकेशनल ट्रस्ट

श्री भवानी निकेतन ~~शिक्षा समिति~~, जयपुर को आवंटित की गई भूमि का विवरण ।

क्रम सं.	नाम ग्राम	तहसील व जिला	खसरा संख्या	रकबा.	
1.	बीड़ सरकारी	जयपुर	7	73 बीघा	4 बिस्वा
			8	140 बीघा	16 बिस्वा
			9	62 बीघा	12 बिस्वा
			10	67 बीघा	14 बिस्वा
			11	3 बीघा	-
			12	-	8 बिस्वा
			13	3 बीघा	12 बिस्वा
			14	41 बीघा	18 बिस्वा
			15	19 बीघा	-
			योग:-	412 बीघा	4 बिस्वा
2.	झोटवाड़ा	जयपुर	1068	34 बीघा	7 बिस्वा
			1069	4 बीघा	5 बिस्वा
			योग:-	38 बीघा	12 बिस्वा
3.	परशरामपुरा	जयपुर	1	21 बीघा	2 बिस्वा
			2	10 बीघा	11 बिस्वा
			2/54	-	5 बिस्वा
			3	12 बीघा	2 बिस्वा
			4	14 बीघा	10 बिस्वा
			5	1 बीघा	6 बिस्वा
			6	3 बीघा	10 बिस्वा
			योग :-	63 बीघा	6 बिस्वा
4.	बस्सी सीताराम्पुरा	जयपुर	1/2	41 बीघा	14 बिस्वा
			योग :-	41 बीघा	14 बिस्वा
			महायोग :-	555 बीघा	16 बिस्वा

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

9.2.13

NOTARY DEEPAK KUMAR Reg.: 11835 E. Date 7-11-2021 JAIPUR(RAJ.) GOVT. OF INDIA

TRUE PHOTO COPY ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR DISTT. (RAJ.)
INDIA

25 FEB 2017

...

प्रबन्ध पत्र, जी. संख्या 255

र.के.मु.अ.

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.2(445)राज./ग्रुप-3/90 जयपुर, दिनांक : 8/10/98

जिला कलक्टर
जयपुर ।

विषय:- श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक आर-18बी(8)80/एम./TTT/12128 दिं0 22.12.97 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निदेशानुसार लेख है कि इस विभाग के सम संख्यक आदेश क्रमांक प.2(445)राज./ग्रुप-3/90 दिनांक 21.7.94 एवं इनमें संशोधित आदेश क्रमांक प.2(445)राज./ग्रुप-3/90 दिनांक 3.5.97 द्वारा श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एंव चेरिटेबल ट्रस्ट को कुल 555 बीघा 16 बिस्वा भूमि के आदेश निम्नानुसार जारी किये गये थे :-

1. 501 बीघा 01 बिस्वा भूमि जयपुर राज्य के मूल भूमि आवंटन आदेश दिं0 10.10.42 के अनुसार पुर्नबहाल
2. 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि का निशुल्क लीज पर आवंटन

उक्त दोनों बिन्दुओं के अन्तर्गत आवंटित भूमि का विवरण संलग्न अनेक्सचर अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करानें की व्यवस्था करें ।

चूंकि आवंटित की गई भूमि 54 बीघा 15 बिस्वा के लिये पत्रांक प.2(445) राज./ग्रुप-3/90 दिनांक 12.10.95 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि इस भूमि का श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एंव चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम स्थाई रूप से लीज पर आवंटन किये जानें का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज करानें की व्यवस्था करें । इसलिये लीज पर आवंटित भूमि के लिये लीज फार्म भरवानें का औचित्य नही है ।

भवदीय

शासन उप सचिव 8/10/98

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-
1. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चेरेटेबिल ट्रस्ट, सीकर रोड, जयपुर
2. रक्षित पत्रावली

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

दिनांक 8/10/98

शासन उप सचिव 8/10/98

NOTARY
DEEPAK KUMAR
Reg.: 11835
E: Date 7-11-2021
JAIPUR(RAJ.)
GOVT OF INDIA

TRUE PHOTO COPY
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR DISTT. (RAJ.)
INDIA
छाया प्रति प्रमाणित

25 FEB 2017

256

श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एवं चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमि का विवरण

501 बीघा 01 बीस्वा के खसरा नम्बर व रकबा

[क]

	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	रकबा बीस्वा	योग
1.	बोटवाड़ा	1068	8	13	
		1069	4	05	
					12:18
2.	बस्ती सीताराम पुरा	1/2	41	14	41:14
3.	परसरामपुरा	1	21	02	
		2	10	11	
		3	12	02	
		4	13	05	
		2/54	-	05	
					57:05
4.	बीड़ सरकारी	7	73	04	
		8	140	16	
		9	62	12	
		10	67	14	
		11	3	00	
		12	00	08	
		13	3	12	
		14	37	18	
					389:04
			कुल रकबा		501:01

[ख] स्थायी लीज पर आवंटित 54 बीघा 15 बीस्वा के खसरा नम्बर व रकबा

	ग्राम	खसरा नम्बर	बीघा	बीस्वा
1.	बोटवाड़ा	1068	25	14
2.	परसरामपुरा	4	1	05
		5	1	06
		6	3	10
3.	बीड़ सरकारी	14	4	00
		15	19	00
		कुल रकबा	54	15

NOTARY
DEEPAK KUMAR
Reg.: 11835
E. Date 7-11-2021
JAIPUR(RAJ.)
GOVT. OF INDIA

TRUE PHOTO COPY
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR DISTT. (RAJ.)
INDIA
25 FEB 2021

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक शासन सचिव
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

सचिव
श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति
जयपुर

शासन उप सचिव
शासन सचिवालय, जयपुर